भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 190

दिनांक 18.07.2022 को उत्तर के लिए

उत्पादक के विस्तारित दायित्व

190. श्री वी.के. श्रीकंदन :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपभोक्ता सामान कंपनियों और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के निर्माताओं को वर्ष 2023 तक अपना कम से कम 60 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक कचरा एकत्रित और पुनर्चक्रित करना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है और इसे वर्ष 2024 और 2025 में क्रमश: 70 प्रतिशत और 80 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है;

(ख) क्या सरकार उत्पादक के विस्तारित उत्तदायित्व प्रमाणपत्र, पुनर्चक्रण और व्यापार पर भी ध्यान दे रही है;

(ग) क्या कंपनियों को एक ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और अपने उत्पादन और ई-कचरा संग्रह के वार्षिक लक्ष्य निर्दिष्ट करने होंगे; और

(घ) यदि हां, तो अब तक उक्त दिशानिर्देशों का अनुपालन करने वाली कंपनियों की कुल संख्या कितनी है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (घ) देश में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 तथा इसमें किए गए संशोधनों के तहत विनियमित किया जाता हैं। ये नियम दिनांक 01.10.2016 से लागू है तथा इनके निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्य हैं :

- उत्पादक के विस्तारित दायित्व (ईपीआर) प्राधिकार के माध्यम से ई-अपशिष्ट संग्रहण, भण्डारण, परिवहन और पर्यावरण के अनुकूल निराकरण एवं पुनर्चक्रण की प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए उत्पादकों के विस्तारित दायित्व
- किसी दक्ष ई-अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली को बढ़ावा देना तथा प्रोत्साहित करना ।
- ई-अपशिष्ट के प्राधिकृत डिस्मेन्टलरों और पुनर्चक्रणकताओं के माध्यम से पर्यावरणीय अनुकूल और सुदृढ़ पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना ।
- अवैध पुनर्चक्रण/पुन:प्राप्ति कार्यों को सीमित करना ।
- इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों (ईईई) में खतरनाक पदार्थों को कम करना।

ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के अनुसार, अनुसूची I में सूचीबद्ध इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों (ईईई) के उत्पादक अनुसूची III के अनुसार उत्पादक के विस्तारित दायित्व (ईपीआर) के तहत ई-अपशिष्ट संग्रहण को लागू करेंगे जो निम्नलिखित हैं :

क्र.सं.	वर्ष	ई-अपशिष्ट संग्रहण लक्ष्य (भार)
(i)	2017-2018	ईपीआर योजना में यथासूचित अपशिष्ट उत्सर्जन की मात्रा का 10%
(ii)	2018-2019	ईपीआर योजना में यथासूचित अपशिष्ट उत्सर्जन की मात्रा का 20%
(iii)	2019-2020	ईपीआर योजना में यथासूचित अपशिष्ट उत्सर्जन की मात्रा का 30%
(iv)	2020-2021	ईपीआर योजना में यथासूचित अपशिष्ट उत्सर्जन की मात्रा का 40%
(v)	2021-2022	ईपीआर योजना में यथासूचित अपशिष्ट उत्सर्जन की मात्रा का 50%
(vi)	2022-2023	ईपीआर योजना में यथासूचित अपशिष्ट उत्सर्जन की मात्रा का 60%
(vii)	2023 तक	ईपीआर योजना में यथासूचित अपशिष्ट उत्सर्जन की मात्रा का 70%

ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के तहत संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) द्वारा ई-अपशिष्ट भंजनकर्ताओं और पुनर्चक्रणकर्ताओं को प्राधिकार यह सुनिश्चित करने के बाद दिया जाता है कि आवेदक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देशों की अनुपालना में पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों और पर्याप्त तकनीकी क्षमताओं, भंजन अथवा पुनर्चक्रण के लिए अपेक्षित सुविधाएं और उपकरण तथा ई-अपशिष्ट प्रक्रिया का उपयोग कर रहा है। एसपीसीबी/पीसीसी भी इन दिशानिर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए ई-अपशिष्ट भंजन/पुनर्चक्रण सुविधाओं का नियमित निरीक्षण कर रहे हैं।

सीपीसीबी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, 22 राज्यों में 472 प्राधिकृत भंजनकर्ता/ पुनर्चक्रणकर्ता है, जिनकी प्रसंस्करण क्षमता 14,26,685.22 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एसपीसीबी/पीसीसी से प्राप्त सूचना पर आधारित तथा एसपीसीबी/पीसीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध) है। उत्पादक के विस्तारित दायित्व के संबंध में, सीपीसीबी ने अब तक पूरे देश में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कुल 2061 उत्पादकों को प्राधिकार प्रदान किए है। इसके अतिरिक्त, सीपीसीबी ने ई-अपशिष्ट के ईपीआर की निगरानी के लिए नियम बनाए गए हैं, जिनके लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है जिसमें प्रत्येक उत्पादक/उत्पादक उत्तरदायित्व संगठन को उनके वस्तुओं के उत्पादन डाटा के आधार पर विधिवत लक्ष्य सौंपा गया है जो नियमों की अनुसूची-I में सूचीबद्ध है।

****